



कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लाल कोठी, टोंक रोड़, जयपुर-15)

क्रमांक:-एफ-20()/अधि.अभि.(वि.)/ननिग्रेज/2024/ 497 दिनांक:- 25.10.2024

Corrigendum

नगर निगम ग्रेटर जयपुर की ओर से विद्युत कार्य हेतु नगर निगम जयपुर में व अन्य विभागों में नये नियमों के अनुसार श्रेणीवार EWSड श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया में ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की गयी, अपरिहार्य कारणों से ई-निविदा संख्या 31 से 73/2024-25 की निविदाओं की डाउन लोड, अपलोड व प्राप्ति तिथि निम्नानुसार संशोधित की जाती हैं:-

डाउन लोड व अपलोड की अंतिम तिथि - दिनांक 08.11.2024 सायं 6.00 बजे तक
निविदा प्राप्ति/खोलने की तिथि - दिनांक 11.11.2024 प्रातः 11.00 बजे

निविदा से सम्बन्धित समस्त विवरण वेब साईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर निम्न UBN No. JMC2425WSOB00707 से JMC2425WSOB00711 व JMC2425WSOB00715 से JMC2425WSOB00718 व JMC2425WSOB00720 से JMC2425WSOB00742 व JMC2425WSOB00744 से JMC2425WSOB00754 पर देखा जा सकता है।

इच्छुक संवेदकों को ई-निविदा में भाग लेने हेतु वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है।

(प्रदीप कुमार शर्मा)
अधिसाषी अभियन्ता (विद्युत)
नगर निगम ग्रेटर जयपुर

विषय:- निविदा संख्या 31 से 68/2024-25 की प्री-बिड के संबंध में।

दिनांक 22.10.2024 को ई-निविदा संख्या 31 से 68/2024-25 की प्री-बिड मीटिंग आयोजित की गई। मीटिंग में निम्न फर्मों द्वारा उक्त निविदा के संबंध में अपने सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं। अतः फर्मों द्वारा दिये गये सुझावों पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

S. N.	Name of Firm	Tender Condition	Observation & Suggestion	Committee Decision
1.		संवेदक को निविदा भरने के पूर्व सभी स्ट्रीट लाइटों से सम्बन्धित समस्त उपकरण/लाइटों की भौतिक स्थिति जानकर ही निविदा भरें। वर्तमान में जिस स्थिति में लाइट है उसी स्थिति में हस्तान्तरित होंगे साथ ही संवेदक को अपने खर्च पर निर्देशानुसार लाइट व्यवस्था के द्वारा सिस्टम को सुव्यवस्थित करना होगा।		As per Tender Document.
2.		सफल संवेदक को कार्यादेश दिनांक के 1 माह में निगम प्रतिनिधि व EESL प्रतिनिधि के साथ संयुक्त सर्वे कर लाइटों की संख्या की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।		As per Tender Document.
3		न्यूनतम सफल निविदादाता को निगम द्वारा LOA जारी किया जायेगा। LOA में वर्णित राशि की सिक्युरिटी मनी व अनुबन्ध पत्र के साथ-साथ कार्य क्षेत्र में लगाये जाने वाले लाईनमेनों की सूची मय नाम, पता व मोबाईल नम्बर भी प्रस्तुत किये जाने होंगे। यह सूची प्रस्तुत न करने पर कार्यादेश जारी नहीं किया जायेगा और L-2 निविदादाता को L-1 की दर पर LOA जारी किया जायेगा।		As per Tender Document.
4	Electrical Contractor Association	संवेदक को लाइट की वॉटेज व रोड कटेगरी के अनुसार LUX सुनिश्चित करना होगा, जो नहीं होने पर रूपयें 500/लाइट शास्ति व 10 दिवस में LUX सुनिश्चित नहीं होने पर एलईडी लाइट की BSR दर के अनुसार शास्ति आरोपित की जावेगी।	शर्त संख्या 04 में लक्स लेवल से संबंधित पैनल्टी एवं लक्स लेवल को सुनिश्चित करने संबंधित बाध्यता को हटाई जावें।	संवेदक को सर्वे के दौरान प्रत्येक स्विच पॉइंट का बेसलाईन लक्स रिपोर्ट तैयार करना होगा, प्राप्त बेसलाईन लक्स रिपोर्ट के अनुसार कार्यावधि तक लक्स सुनिश्चित करना होगा, बेसलाईन लक्स रिपोर्ट के अनुसार लक्स नहीं होने पर अधिशाषी अभियंता (विद्युत)/निगम उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार कमेटी का गठन किया जाकर लक्स की जाँच करवायी जा सकती है, उसके उपरांत लक्स नहीं होने पर रूपयें 500/लाइट शास्ति व 10 दिवस में LUX सुनिश्चित नहीं होने पर एलईडी लाइट की BSR दर के अनुसार शास्ति आरोपित की जावेगी।

(Handwritten signature and scribble)

(Handwritten mark)

5		संवेदक को कार्यादेश दिनांक के 1 माह में जोनों में स्थापित एलईडी लाइटों का सर्वे के दौरान सीसीएमएस/पैनल व पोलों पर नम्बरिंग भी करवाया जाना अनिवार्य है। साथ ही डिस्कॉम मीटर की सीसीएमएस पैनल से मेटिंग का कार्य भी करवाया जाना है। नम्बरिंग के फॉर्मेट का निर्धारण सक्षम स्तर से करवाने के उपरान्त ही करना होगा।		As per Tender Document.
6		सर्वे व पोल नम्बरिंग का कार्य कार्यादेश दिनांक के 3 दिवस में शुरू करने, 1 माह में खत्म करना होगा, सप्ताहिक रिपोर्ट अधिशाषी ऑफिस को प्रस्तुत करनी होगी, कार्य की प्रगति रिपोर्ट संतोषजनक नहीं होने पर निविदा निरस्त कर L2 को L1 की दरों पर ऑफर दिया जा सकता है। तथा संवेदक द्वारा उक्त संख्या के आधार पर ही लाइटों का रख-रखाव किया जावेगा। नम्बरिंग फॉर्मेट में 7 से 8 वर्ड लिये जायेंगे। जिसका फॉर्मेट निम्न प्रकार है:- जोन का नाम/सीसीएमएस नम्बर/पोल नम्बर ↓ ↓ ↓ MNZ/ 001 / 01		As per Tender Document.
7	Electrical Contractor Association	जोनों में स्थापित लाइटों का इन्फ्रास्ट्रक्चर (O/H Phase Wire, U-G Cable व पोलों) को दुरुस्त किया जाना है।	शर्त संख्या 07 में अंडर ग्राउंड केबल डालना एवं ओवर हैंड फ़ैज वायर डालना संबंधित बाध्यता को हटायी जावें।	शर्त संख्या 07 विलोपित की जाती है
8		EESL के साथ MOU अवधि दिसम्बर 2024 में समाप्त हो रही है। माननीय उच्च न्यायालय व निगम के सक्षम स्तर के निर्णय के अधीन उक्त कार्य दिसम्बर माह से पूर्व भी प्रारंभ करवाया जा सकता है।		As per Tender Document.
9		जोन क्षेत्र में निगम स्तर व जयपुर विकास प्राधिकरण से स्थान्तरित एलईडी लाइटें सोडियम लाइट व ट्यूब लाइट इत्यादि के रख-रखाव हेतु कार्यादेश ARC वर्तमान में प्रभावी है। उक्त ARC के समाप्ति पर इन पॉइन्ट्स का रख-रखाव संवेदक का कार्य संतोषजनक होने पर करवाया जा सकता है।		As per Tender Document.
10		संवेदक को लाइटों के रख-रखाव से सम्बन्धित प्राप्त शिकायतों का व्हाट्सएप ऑफिशियल ग्रुप राजस्थान सम्पर्क की शिकायत प्राप्ति के 48 घंटों में निस्तारण करना होगा।		As per Tender Document.

9

2023

11	Electrical Contractor Association	संवेदक को लाईट को चालू करने के लिए समस्त कार्य स्पेयर पार्ट, केबल, फेज वायर दुरस्त करने होंगे एवं केबल/फेज वायर फॉल्ट आदि होने पर यदि आवश्यकता है तो निगम स्टोर से उपलब्ध करवा दिया जायेगा। जिसकी खर्च की रिपोर्ट प्रतिमाह जोन कनिष्ठ अभियन्ता को प्रतिमाह उपलब्ध करायेगा।	शर्त संख्या 11 में अंडर ग्राउंड केबल डालना एवं ओवर हैंड फेज वायर डालना संबंधित बाध्यता को हटायी जावें।	केबल, फेज वायर फॉल्ट आदि होने पर यदि संवेदक को लाईट को चालू करने के लिए केबल/फेज वायर यदि आवश्यकता है तो निगम स्टोर से उपलब्ध करवा दिया जायेगा। जिसकी खर्च की रिपोर्ट प्रतिमाह जोन कनिष्ठ अभियन्ता को प्रतिमाह उपलब्ध करायेगा।
12		संवेदक द्वारा ठेके अवधि के दौरान बीच में रोड़ लाईट का कार्य बन्द कर दिये जाने पर S.D राशि जब्त कर ली जावेगी, एवं फर्म को ब्लैकलिस्ट किया जावेगा।		
13	Electrical Contractor Association	नगर निगम के पोल गिरने/टूटे जाने पर पोल Dismantle करके निगम द्वारा बताये गये स्थान पर रखना होगा। जिसका अलग से भुगतान नहीं किया जायेगा तथा वैकल्पिक व्यवस्था करके लाईट सर्किट चालू रखना होगा।	शर्त संख्या 13 को विलुप्त की जावें।	शर्त संख्या 13 विलोपित की जाती है।
14		संवेदक को टाईमर/टाईमर बॉक्स/शिफ्ट करना, हाईमास्ट लाईटों को उतारना/चढवाने का कार्य करना होगा। जिसका निगम द्वारा अलग से भुगतान नहीं किया जावेगा।		संवेदक को टाईमर/टाईमर बॉक्स/शिफ्ट करना, हाईमास्ट लाईटों को उतारना/चढवाने का कार्य करना होगा। जिसमें आवश्यकतानुसार सामान निगम द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा जिसका निगम द्वारा अलग से भुगतान नहीं किया जावेगा।
15		कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर बिना कारण बताये ठेके को 7 दिवस के नोटिस पर निरस्त करने का अधिकार महापौर व आयुक्त का होगा, निरस्ती से उत्पन्न किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति निगम द्वारा देय नहीं होगी।		As per Tender Document.
16		शास्ति 1. लाईट बन्द होने पर 50 रूपयें/लाईट प्रतिदिन		As per Tender Document.
17		संवेदक को स्वयं के खर्च पर होस्ट/क्रेन उपलब्ध करानी होगी। यदि निगम स्तर पर उपलब्ध करायी जाती है तो नगर निगम गैराज में स्थित होस्ट की प्रतिदिन दर राशि जमा करानी होगी।		As per Tender Document.
18		सम्बन्धित संवेदक को प्रतिदिन की गयी शिकायतों के संधारण का विवरण जोन स्थित विद्युत कार्यालय में विद्युत निरीक्षक/कनिष्ठ अभियन्ता/सहायक अभियन्ता को अवगत करवाना होगा।		As per Tender Document.

4




19		संवेदक को कलस्टर के अनुसार संधारण टीम उपलब्ध करवानी होगी यदि किसी भी कलस्टर में समान टीम पायी जाती है तो 1500 रूपयें प्रतिदिन की शास्ति आरोपित की जावेगी।		As per Tender Document.
20		संवेदक द्वारा यह ध्यान रखा जाये कि लाईटों के संधारण के पश्चात् कोई भी पैनल/स्विच बॉक्स खुली अवस्था में ना हो और कोई भी ज्वॉईन्ट खुला ना पाया जाए और ना ही करन्ट का रिसाव हो। इस कारण से किसी भी दुर्घटना/जन-हानि हेतु संवेदक पूर्णतः उत्तरदायी होगा।		संवेदक द्वारा यह ध्यान रखा जाये कि लाईटों के संधारण के पश्चात् कोई भी पैनल/स्विच बॉक्स खुली अवस्था में ना हो और कोई भी ज्वॉईन्ट खुला ना पाया जाए और साथ यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी विद्युत पोल में विद्युत करन्ट रिसाव ना हो। इस कारण से किसी भी दुर्घटना/जन-हानि हेतु संवेदक पूर्णतः उत्तरदायी होगा।
21		संवेदक द्वारा प्रस्तुत अव्यवहारिक दरें (बहुत कम/बहुत ज्यादा) प्रस्तुत की जाती है तो उपापन समिति औचित्यता का निर्धारण करेगी व सही नहीं पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही कर निविदा निरस्त की जा सकती है।		As per Tender Document.
22	Electrical Contractor Association	वर्षा ऋतु में संवेदक को पूर्ण सतर्कता के साथ यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी विद्युत पोल में विद्युत करन्ट रिसाव ना हो एवं इस कारण से किसी भी दुर्घटना/जन-हानि हेतु संवेदक पूर्णतः उत्तरदायी होगा।	शर्त संख्या 22 में दुर्घटना/जन-हानि हेतु संवेदक के उत्तरदायी होने वाली बाध्यता को हटायी जावे।	शर्त संख्या 20 विलोपित की जाती है।

उक्तानुसार प्रतिउत्तर तैयार कर पोर्टल पर अपलोड किये जाने का निर्णय लिया गया।



सहा. अभि.(वि.)



वरि. लेखाधिकारी



अधि./अधी. अभिनयंता (वि0)



वित्तीय सलाहकार



कायोलय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लाल कोठी, टोंक रोड, जयपुर-15)

क्रमांक:-एफ-20()/अधि.अभि.(वि.)/ननिग्रेज/2024/456

दिनांक:- 17/10/2024

निविदा सूचना सं. 63/वर्ष 2024-25

नगर निगम ग्रेटर जयपुर की ओर से निम्न विद्युत कार्य हेतु नगर निगम ग्रेटर जयपुर में व अन्य विभागों में नये नियमों के नियमानुसार श्रेणीवार EWSD श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से निम्न कार्य हेतु निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेन्ट हेतु ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

कार्य का विवरण	सम्बन्धित अधिकारी का नाम
मुरलीपुरा जोन में वार्ड संख्या 10,11,12 में EESL की लाईटों के संधारण का कार्य वार्षिक दर निविदा वर्ष 2024-25	अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत) ग्रेटर
ऑन लाईन निविदा प्रपत्र अपलोड करने की अवधि	Tender Publication Date:- 19/10/2024 दिनांक 24.10.2024 से दिनांक 2.11.2024 सायंकाल 6.00 बजे तक
कार्य की अनुमानित लागत	1092000/-रु.
कार्य अवधि	01 वर्ष
प्री बिड मिटिंग अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय	दिनांक 22.10.2024 समय 11.00 AM
निविदा प्रपत्र शुल्क	500.00 रुपये
अमानता राशि	नगर निगम ग्रेटर जयपुर में पंजीकृत संवेदकों से कार्य की अनुमानित राशि का 0.50% (रु.5460.00) और अन्य विभागों में पंजीकृत संवेदकों से 2%(रु. 21840.00)
प्रोसेसिंग फीस RISL	500.00 रु.
Envelop- 1 Opening	04-11-2024 at 11.00 am
Financial Bid (Envelop- 2 Opening)	तकनीकी निविदा सफल होने पर ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी।

निविदा दाताओं को निविदा शुल्क, अमानता राशि एवं प्रोसेसिंग फीस ऑनलाईन स्थानीय निकाय विभाग, राज0, जयपुर की वेबसाईड www.jaipurmc.org पर Submission Date and time से पूर्व जमा करवाकर उससे प्राप्त होने वाली रसीद को स्केन करके रजिस्ट्रेशन WWW.eproc.rajasthan.gov.in & <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करने पर ही निविदा को मान्य किया जायेगा एवं संवेदक द्वारा तकनीकी निविदा में निम्न दस्तावेज – रजिस्ट्रेशन, विद्युत लाईसेंस की छाया प्रति तथा, Pan card, PF,ESI,GST में पंजीयन की छाया प्रति व संवेदक की हस्ताक्षरित Annexure A,B,C,D,E एवं हस्ताक्षरित निविदा शर्तें स्केन कर अपलोड करना अनिवार्य है। उक्त दस्तावेज हस्ताक्षरित अपलोड नहीं करने पर सम्बन्धित संवेदक की निविदा को मान्य नहीं माना जावेगा, एवं ऑन लाईन निविदा प्रपत्र डाउनलोड/ अपलोड करने की अवधि उपरांत ऑफ लाईन दस्तावेज नहीं लिये जायेंगे। राज्य सरकार द्वारा जारी वर्तमान में प्रचलित नियम प्रभावी रहेंगे।

निविदा में वित्त विभाग की अधिसूचना 2021 द्वारा RTPP Act 2013 के अन्तर्गत शामिल किये गये नियम 75 ए की पालना संवेदक द्वारा की जावेगी जिसके अनुसार Unbalanced Bid होने की दशा में नियमानुसार अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति (Additional Performance Security) राशि BG/FDR के रूप में LOA जारी होने के 7 दिवस में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। यदि संवेदक द्वारा Additional Performance Security राशि जमा कराने के पश्चात् कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण नहीं करता है तो उसकी Additional Performance Security राशि नगर निगम ग्रेटर जयपुर द्वारा जब्त कर ली जावेगी व अनुबन्ध के तहत अन्य कार्यवाही भी अमल में लायी जावेगी।

निविदा से सम्बन्धित समस्त विवरण वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> & <http://sppp.rajasthan.gov.in> तथा www.jaipurmc.org पर देखा जा सकता है। इच्छुक संवेदकों को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेबसाईट पर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है।

(प्रदीप कुमार शर्मा)

अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत)
नगर निगम ग्रेटर जयपुर